FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
crim-1

अदालत उप खण्ड मांडल मुकाम

हीरालाल खाती बनाम उमाशंकर खाती

किस्म मुकदमा राजकार नं. 47 सन 17

उप खण्ड टा.नं. 47/17

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9-7-17 | उभय पक्ष [illegible] राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदस्थित है अतः पत्रावली [illegible] 15.9.17 [illegible] पेश हो। | 12/6/17 |
| 13/10/17 | पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी मांडल से मुन्तकिल होकर प्राप्त हुई [illegible] पर पत्रावली के अधिवक्ता को [illegible] को सूचित करें। पत्रावली दिनांक 26/12/17 [illegible] आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा) | |
| 26/12/17 | पत्रावली उभयपक्ष उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 26/02/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा | |
| 26/2/18 | पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण में वादी व उनके अधिवक्ता को दो बार रुक-रुक कर आवाजें लगाई गई किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुई। अतः प्रकरण अदम हाजरी / पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नंबर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा | |

Scanned by CamScanner